संख्या–1623 / 9–न0भू02000–1011यू0सी0 / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

2. सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमारोपण,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 9 अगस्त, 2000

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के अन्तर्गत सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त

शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे में प्राप्त भूमि का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1279 / 9–आ–6–दिनांक 21, अक्टूबर, 99 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गये थे कि ऐसी भूमि का निस्तारण किया जाय जो, सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे में प्राप्त हो, परन्तु शासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि ऐसी भूमि का भी निस्तारण / –आवंटन किया जा रहा है जिसमें धारा 10(3) की कार्यवाही हुई है परन्तु 10(5) की कार्यवाही नहीं हुई है और शासन द्वारा कब्जा भी नहीं किया गया है यह स्थिति ठीक नहीं है। अतः ऐसे प्रकरणों में न्याय विभाग का निम्न परामर्श प्राप्त हुआ है :–

''निरसन अध्यादेश अधिनियम की धारा 3(2) उन मामलों में भी अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि की वापसी के लिये भी प्राविधान करती है, जिनमें कब्जा नहीं किया गया और प्रतिकर का भुगतान हो गया हो, तो उस स्थिति में ऐसी भूमि का कब्जा वापस होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया प्रतिकर वापस हो जाए।''

इस प्रकार ऐसी भूमि जो अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है, एवं धारा 10(3) की कार्यवाही हो चुकी है परन्तु कब्जा नहीं किया गया है, को किसी शासकीय विभाग या अन्य को आवंटित / हस्तान्तरित न किया जाए, वरन प्राप्त परामर्शानुसार भू–स्वामी को वापस प्राप्त हो जायेगी।

तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 1623 / 9न0भू099–1011यू0सी0 / 2000तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या–190 / 9–आ–6–2001–135यू0सी0 / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. जिलाधिकारी / सक्षमप्राधिकारी,
लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली,
गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ ।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 24 मार्च, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या – 777 / 9–न0भू0–135यू0सी0 / 99–2000 दिनांक 09 फरवरी, 2000 द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के आलोक में कतिपय दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं। इसी के क्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है।

2. चूंकि कतिपय जनपदों से उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09, फरवरी, 2000 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के संदर्भ में कतिपय भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर मामले का पुनः परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 धारा–8(4) के अन्तर्गत सरप्लस घोषित भूमि में 10(3) तक की गयी कार्यवाही अधिनियम के निरसन के उपरान्त पर्याप्त नहीं है एवं उसमें निरसन अधिनियम के अनुसार शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2000 के प्राविधान लागू होंगे। परन्तु जिस सरप्लस घोषित भूमि में 10(5) के बाद, 10(6) की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं भूमि पर शासन द्वारा कब्जा लिया जा चुका है, वह अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि अन्तिम रूप से शासन में निहित भूमि मानी जायेगी।

3. उपरोक्त कार्यवाहियों के बावजूद ऐसी भूमि पर यदि बाद में पुनः कब्जा करके भूधारक द्वारा वर्तमान में अपना अवैध कब्जा बनाये रखा गया हो तो उसे अनधिकृत कब्जा माना जायेगा, एवं ऐसे अवैध कब्जों से भूमि मुक्त कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–26(ए) (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी अन्तिम रूप से निहित भूमि को चिन्हित कर अवैध कब्जे की स्थिति में (पूर्व भू–स्वामी सहित किसी के द्वारा भी हो) एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 190(1)/9–आ–6–2001–135यू0सी0/99–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा मेरठ।
2. जिला जज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा मेरठ।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्ड पीठ।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या–424 / 9–आ–6–2001–1006यू0सी0 / 99

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली,
गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, एवं मेरठ ।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 24 मार्च, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण उ0प्र0 के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अधिनियम के अनुरूप यथाधारा 8(4) का आदेश, धारा–9, धारा 10(1) व 10(3) व धारा 10(5) व 10(6) एवं राज्य सरकार के पक्ष में अमल दरामद (नामान्तरण) कब्जा दखल से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराकर एक प्रति मूल अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के रिकार्ड रूम में रखने हेतु तथा एक प्रति निदेशालय व एक प्रति शासन में भेजी जायेगी एवं एक प्रति सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। उक्त सम्बन्धित अभिलेखों पर होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिले के विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

अतएव कृपया इस संदर्भ में तत्काल अपने स्तर से सम्बन्धित जिले के सक्षम प्राधिकारी को भुगतान हेतु सूचित करें ताकि उक्त अभिलेखों की छाया प्रतियां तत्काल करायी जा सकें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। भवदीय,

दीन दयाल
संयुक्तसचिव

संख्या : 424(1) / 9–आ–6–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0 प्र0 को उनके पत्र संख्या 142 / तीन–4080 / 2000 दिनांक 26 फरवरी 2001 के संदर्भ में।
2. सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि तत्काल सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराना सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 6
संख्या 688/9–आ–6–2001–216यू0सी0/90/टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2001

अधिसूचना

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या–5 सन् 1999) द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरसित कर दिया गया है,

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में राज्य विधान मण्डल ने संकल्प द्वारा उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999 को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु अंगीकार कर लिया है,

चूंकि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित उक्त संकल्प के फलस्वरूप उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999, दिनांक 18 मार्च, 1999 को उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त हो चुका है , और चूंकि उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999 के उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त हो जाने के फलस्वरूप नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976, दिनांक 18 मार्च, 1999 से इस राज्य में प्रवृत्त नहीं है,

राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प, जिसे विधान सभा द्वारा दिनांक 10.03.1999 एवं विधान परिषद द्वारा दिनांक 18.03.1999 को पारित किया गया, सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संकल्प

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं कतिपय अन्य प्रदेशों के विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर, भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 राज्य सूची की प्रविष्ट 18 के सम्बन्ध में संसद द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था जो वर्तमान में इस प्रदेश में प्रवृत्त हैं,

और चूंकि यह पाया गया कि उक्त अधिनियम कुछ एक व्यक्तियों के ही हाथों में नगरीय भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीयकरण तथा नगरीय भूमि के हस्तान्तरण में सट्टेबाजी अथवा मुनाफाखोरी रोकने एवं नगरीय भूमि के समाजीकरण द्वारा सामूहिक हित के लिये भूमि के समतापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने एवं अन्य अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रहा है जिसके फलस्वरूप मूलभूत नगरीय सुविधाओं के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा हैं।

और चूंकि यह सदन इस मत का है कि उक्त अधिनियम की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है और उसका निरसन आवश्यक हैं।

और चूंकि पंजाब और हरियाणा राज्यों में उक्त अधिनियम को निरसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उक्त राज्यों में विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में उक्त अधिनियम को उक्त राज्यों में तथा ऐसे अन्य राज्यों में, जहां के राज्य विधान मण्डल उक्त अधिनियम

को निरसित करने हेतु संसद द्वारा बनाये गये निरसन अधिनियम को अंगीकार करें, निरसित करने के लिए विधेयक संसद में पुनः स्थापित किया गया है जो अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हो सकता है।

अब चूंकि संसद के सत्र में न रहने के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (1) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1990 (सं0 5 सन् 1999) प्रख्यापित किया गया है।

और चूंकि उक्त अध्यादेश 5 सन् 1999 की धारा–1 की उपधारा (2) में यह उपबन्धित है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 उन राज्यों में भी प्रवृत्त हो सकेगा जिन राज्यों के विधान मण्डल भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत इस निमित्त संकल्प पारित कर उक्त अध्यादेश को अंगीकार करें,

और चूंकि इस सदन को वांछनीय प्रतीत होता है कि उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाये।

अतः यह सदन भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा नगर भूमि (अधिकमि सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999) को, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय अध्यादेश है, अंगीकार करता है।

आज्ञा से

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 688(1)/9–आ–6–2001 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0 प्र0 उत्तर प्रदेश, जवाहरण भवन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ।
8. जिला शासकीय अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
9. शासन के समस्त अनुभाग।

आनन्द कुमार
अनु सचिव

संख्या–1540 / 9–आ–6–2000–1006यू0सी0 / 99 / टी0सी0

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 31 मई, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के प्रदेश से निरसन के उपरान्त नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय एवं नगर बस्तियों के छटनीशुदा कार्मिकों का सरकारी सेवा में आमेलन हेतु अर्हतायें एवं अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये शासन ने नगरभूमि सीमारोपण निदेशालय एवं 11 नगर बस्तियों के छटनीशुदा / छटनी होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सरकारी सेवा में आमेलन हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान करने का निर्णय लिया हैं :–

(1) सरकारी सेवा में आमेलन हेतु केवल वे ही कर्मचारी पात्र होंगे, जो दिनांक 1.10.1986 या इसके पूर्व नगर भूमि सीमारोपण विभाग की सेवा में नियुक्त हुए हो तथा विभाग के बन्द होने की तिथि तक निरन्तर कार्यरत हों।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर ''उपयुक्तता'' के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता मानी जायेगी। ऐसी सेवाओं / पदों हेतु, जिसके लिये भर्ता / चयन के निमित्त किसी सेवा नियमावली / कार्यकारी हेतु आदेश में कोई प्रक्रिया विद्यमान हो, छटनी शुदा कार्मिकों के विषय में उक्त प्रक्रिया से शिथिलता बरतते हुये ''उपयुक्तता'' के आंकलन के लिये अलग से उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 प्रख्यापित की गयी है।

(3) सरकारी सेवा में भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा आयु विषयक शर्ते पूरा करने वाले नगर भूमि सीमारोपण विभाग के कार्मिक ही उक्त सेवायोजन हेतु पात्र होंगे। यदि ऐसे कार्मिक नगर भूमि सीमारोपण विभाग में ऐसे पद पर नियुक्त हुए थे, जिसका कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उस पद के समान है, जिस पद के लिये वे अब अभ्यर्थी है और अपनी नियुक्ति के समय उपरोक्त पद के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते थे, तो यह समझा जायेगा कि वे वर्तमान पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं।

(4) नगर भूमि सीमारोपण विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये आमेलन के समय सरकारी सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(5) सेवा में लिये जाने के दिनांक से राज्य कर्मचारियों पर लागू समस्त नियत जैसे भविष्य निर्वाह निधि, अवकाश, पेंशन आदि उन पर स्वतः लागू होंगे।

(6) उक्त सेवायोजन/आमेलन सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध ही किया जायेगा तथा सम्बन्धित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सम्मेलन/सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(7) नगर भूमि सीमारोपण विभाग में तैनात समूह–''ग'' एवं ''घ'' के जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जायेंगी, उन सभी के नाम सेवायोजन कार्यालयों में एक अलग 'पूल' में नगर भूमि सीमारोपण विभाग में उनकी वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे और सेवायोजकों से मांग प्राप्त होने पर तद्नुसार नाम प्रेषित किये जायेंगे।

(8) इस प्रकार की नियुक्तियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

(9) नगर भूमि सीमारोपण विभाग के जो छटनीशुदा कर्मचारी/अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेना चाहेंगे उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 1540(1)/9–आ–6–2000तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 1540(2)/9–आ–6–2000तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. गोपन अनुभाग–1 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4/2/17/2000 दिनांक 26, जुलाई 2000 के अनुक्रम में।
2. कार्मिक अनुभाग – 3
3. निदेशालय, नगर भूमि सीमारोपण, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 1540(3)/9–आ–6–2000तद्दिनांक
प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त आदेशों को विभिन्न सूचना माध्यमों से व्यापक प्रचार/प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या–2059 / 9–आ–6–2001–135यू0सी0 / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी व गोरखपुर।
2. सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमारोपण,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी व गोरखपुर।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 23 अक्टूबर, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के निरसित हो जाने के उपरान्त शासन में धारा 10(3) में निहित हो चुकी भूमि के बारे में ऐसी स्थिति में जब 10(5) अथवा 10(6) की कार्यवाही स्पष्ट न हो।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में शासन द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के आलोक में निम्न शासनादेश जारी किये गये हैं :–
I शासनादेश संख्या 777 / 9आ–6–2000–135 यू0सी0 / 99 दिनांक 9 फरवरी, 2000
II शासनादेश संख्या 1623 / 9आ–6–2000–1011 यू0सी0 / 2000 दिनांक 9 अगस्त, 2000
III शासनादेश संख्या 190 / 9आ–6–2000–135 यू0सी0 / 99 दिनांक 24 मार्च, 2001

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि उक्त शासनादेशों के निर्गत होने के उपरान्त भी भू–धारकों की भूमि के निस्तारण में कठिनाइयां आ रही है। इनमें मुख्य रूप से मामले जिनमें धारा 10(5) की नोटिस तो जारी कर दी गयी थी परन्तु सम्बन्धित भू–धारक के स्वेच्छा से कब्जा देने अथवा धारा 10(6) के अधीन कार्यवाही करने का कोई विशिष्ट अभिलेख न होने की स्थिति में अधिनियम निरसन के फलस्वरूप ऐसी भूमि के प्रत्यावर्तन की क्या स्थिति होगी पर संशय बना है। शासन द्वारा प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त यह पाया गया कि ऐसे प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ए) के प्राविधान के अनुसार यदि रिक्त भूमि को नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा–10(3) के तहत राज्य सरकार में निहित की गई है और ऐसी भूमि का कब्जा राज्य सरकार के द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ले लिया गया है और कब्जे का पुष्ट प्रमाण है तो ऐसी अतिरिक्त रिक्त भूमि राज्य सरकार में अंतिम रूप से निहित मानी जायेगी। ऐसे में यदि किसी कारण से नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम की धारा 10(5) व 10(6) के नोटिस एवं कार्यवाही विषयक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी राज्य सरकार में अन्तिम रूप से निहित भूमि प्रत्यावर्तित नहीं होगी, क्योंकि यह

सुस्थापित विधिक व्यवस्था है कि यदि भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी है तो ऐसी भूमि तब तक मूल स्वामियों को प्रत्यावर्तित नहीं होगी जब तक की अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि भूमि का कब्जा ले लेने के बाद यदि मूल अधिनियम की धारा 10(5) व 10(6) के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे तो राज्य सरकार में निहित भूमि मूल भूस्वामियों को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया संबंधित प्रकरणों में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण उपर्युक्त व्यवस्थानुसार यथाशीघ्र करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी को पत्र संख्या 288/न0भू0सी0वारा0/2001–2002 दिनांक 20 जून, 2001 के संबंध में।
3. श्री शतरूद्र पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव